# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– राजेशकुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 38/2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/56

**प्रार्थी**

अमराराम पुत्र जोगाराम जाति भील
निवासी भीलो की ढाणी,ऊजला
पोकरण
जिला जैसलमेर हाल
निवासी ग्राम आकड़ली बक्सीराम
तहसील पचपदरा जरिए आम मुख्त्यार
बाबुलाल पुत्र अनाराम जाति जाट
निवासी रामपुरा भाटियान तहसील
तिवरी जिला जोधपुर

**बनाम**

**विप्रार्थी**

1.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा
2.नरसिंगदान चारण प्रधान श्री मामड़ियाजी समन्वय सेवा समिति जैसलमेर गौशाला आकड़ली बक्सीराम तहसील पचपदरा

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**उपस्थिति–**

1.श्री बांकाराम चौधरी व श्री हनुमानराम अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री सुनील के. मेराजा अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 02
3. विप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

## आदेश

दिनांक– 19.09.2024

1.संक्षेप में प्रार्थना पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की ओर से मूलवाद बाबत खातेदारी धोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु पेश किया। जिसके साथ आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत कर विवादित भूमि ग्राम आकड़ली बक्सीराम तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 141/93 व 142/93 कुल क्षेत्रफल 12.9499 हैक्टयर भूमि अवस्थित है,वादग्रस्त भूमि के तत्कालीन खातेदार रूपाराम पुत्र चिमनाराम व बाबुलाल पुत्र रूपाराम जाति भील द्वारा प्रार्थी अमराराम पुत्र जोगाराम के पक्ष में ईकरारनामा बेचान दिनांक 10.11.2008 को किया था तथा विवादित भूमि बेचान पेटे राशि प्राप्त की गई,लेकिन विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा कुटरचित तरीके से फर्जीवाड़ा करते हुए प्रार्थी के नाम विवादित भूमि का बेचाननामा पंजीबद्व करवाने के बजाय प्रार्थी को अध्यक्ष श्री मामड़ियाजी राष्ट्रीय समन्वय सेवा समिति जैसलमेर गौशाला आकड़ली के नाम बक्शीशनामा पंजीबद्व करवा कर प्रार्थी के साथ मामड़ियाजी समन्वय सेवा समिति गौशाला आकड़ली

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

बक्शीराम का नाम खातेदारी में इन्द्राज करवा दिया गया,जो कि फर्जीवाड़ा के द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा इन्द्राज करवाया गया है,जबकि प्रार्थी द्वारा सप्रतिफल राशि का तत्कालीन खातेदार को अदा करते हुए विवादित भूमि खरीद की थी,वक्त खरीद से आदिनांक प्रार्थी का मौके पर कब्जा–काश्त चला आ रहा है,लेकिन विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में गौशाला के नाम इन्द्राज होने के कारण विप्रार्थी आए दिन विवादित भूमि को बेचान करने की धमकिया दी जा रही है तथा प्रार्थी को मौके से बेदखल करने पर भी उतारू है। इस कारण प्रार्थी की ओर से विवादित भूमि की राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखनें के लिए स्थगन आदेश जारी करने बाबत इस्तदुआ चाही गई। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों एवं प्रकरण की परिस्थिति को मध्यनजर रखतें हुए प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनतें हुए विवादित भूमि पर न्यायालय के आदेश दिनांक 15.3.2024 के द्वारा प्रार्थी के पक्ष में विप्रार्थी के विरुद्व अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशंय की जारी गई कि विवादित भूमि की राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनायें रखें। प्रार्थी की ओर से जारी अन्तरिम स्थगन आदेश को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म करने का निवेदन किया गया।

2.प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरीए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुए,विप्रार्थी संख्या 02 की ओर से मूलवाद में अधिवक्ता श्री सुनील के.मेराजा द्वारा वकालतनामा पेश किया तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया।

3.हमने दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए वक्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थी ने विप्रार्थी के विरूद्व दावा बाबत अधिकारों की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर रखा हैं,जिसमें प्रार्थी को सफल होने की पूरी संभावना है,क्योकि विवादित भूमि के तत्कालीन खातेदार रूपाराम पुत्र चिमनाराम व बाबुलाल पुत्र रूपाराम जाति भील द्वारा प्रार्थी अमराराम पुत्र जोगाराम के पक्ष में ईकरारनामा बेचान दिनांक 10.11.2008 को किया था तथा विवादित भूमि बेचान पेटे राशि प्राप्त की गई,उक्त ईकरारनामा नोटेरी अनुप्रमाणित भी हो रखा है,लेकिन विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा कुटरचित तरीके से फर्जीवाड़ा करते हुए प्रार्थी के नाम विवादित भूमि का बेचाननामा पंजीबद्व करवाने के बजाय प्रार्थी को अध्यक्ष श्री मामड़ियाजी राष्ट्रीय समन्वय सेवा समिति जैसलमेर गौशाला आकड़ली के नाम बक्शीशनामा पंजीबद्व करवा कर प्रार्थी के साथ मामड़ियाजी समन्वय सेवा समिति गौशाला आकड़ली बक्शीराम का नाम खातेदारी में इन्द्राज करवा दिया गया,जो कि फर्जीवाड़ा के द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा इन्द्राज करवाया गया है,जबकि प्रार्थी द्वारा सप्रतिफल राशि का तत्कालीन खातेदार को अदा करते हुए विवादित भूमि खरीद की थी,वक्त खरीद से आदिनांक प्रार्थी का मौके पर कब्जा–काश्त चला आ रहा है,लेकिन विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में गौशाला के नाम इन्द्राज होने के कारण विप्रार्थी आए दिन विवादित भूमि को बेचान करने की धमकिया दी जा रही है तथा प्रार्थी को मौके से बेदखल करने पर भी उतारू है। विप्रार्थी अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने के लिए तुरंत आमादा है,यदि इसमें सफल हो गए तो

सहायक कलक्टर
(S.D.O ) बालोतरा

प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी और भविष्य में भी इसकी भरपाई नही होगी। इस प्रकार प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनतें है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा जारी विवादित भूमि के संबध में अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 15.3.2024 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म फरमानें का आदेश पारित किया जावें।

4.इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 02 अधिवक्ता की बहस है,कि प्रार्थी ने विप्रार्थी के विरूद्ध विधि के सुस्थापित सिद्धान्तो से विपरित जाकर निराधार एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर वाद–पत्र प्रस्तुत किया है,जो प्रथम दृष्टया खारिज किए जाने योग्य है,अलावा इसके जहां वाद पत्र ही चलने योग्य न हो तो उस पर आधारित विविध प्रार्थना पत्र भी किसी भी रूप से चलने योग्य नहीं है,क्योंकि विप्रार्थी वादग्रस्त भूमि के काबिज मालिक खातेदार काश्तकार है,विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है, कि काबिल मालिक खातेदार काश्तकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद नहीं किया जा सकता है,खातेदार काश्तकार को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग,बेचान इत्यादि करने का पुर्ण अधिकार प्राप्त होता हैं। प्रार्थी का आवेदन–पत्र मौके पर सुस्थापित काबिज खातेदार काश्तकार के विरूद्ध वर्तमान आवेदन–पत्र चलने योग्य नहीं हैं। प्रार्थी की ओर से विवादित भूमि ग्राम आकड़ली बक्शीराम तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 141/93 व 142/93 कुल रकबा 80 बीघा भूमि की खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिए वाद–पत्र पेश किया है,जबकि वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में श्री मोमड़ियाई गौशाला सेवा समिति आकड़ली बक्शीराम के नाम खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी द्वारा उक्त वाद में रिकार्डेड खातेदार को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया जाकर श्री मोमड़ियाई समन्वय सेवा समिति जैसलमेर आकड़ली बक्शीराम को पक्षकार बनाया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा गलत पक्षकारों का अंकन करते हुए न्यायालय से रिकार्डेड दस्तावेजात के तथ्य छुपाते हुए उक्त वाद पेश किया गया है,जो खारिज योग्य है। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा अपना वाद–पत्र अपंजीकृत ईकरारनामा दिनांक 10.11.2008 को मुख्य आधार बनाकर उक्त अपंजीकृत ईकरारनामा के आधार पर रिकार्डेड खातेदार की खातेदारी भूमि को अपनी खातेदारी घोषित करवाने का अनुतोष चाहा है,जबकि धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपंजीकृत ईकरारनामा पर किसी रिकार्डेड खातेदार के खातेदारी अधिकारों का अवसान नहीं होता है नही अपंजीकृत ईकरारनामा के आधार पर किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकारों प्राप्त होते है। ऐसी स्थिति में अपंजीकृत ईकरारनामा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की मांग राजस्व न्यायालय में नहीं की जा सकती है,इसलिए प्रार्थी का आवेदन चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा वर्तमान प्रकरण काबिज मालिक खातेदार काश्तकार के विरूद्ध प्रस्तुत किया हैं,विधिनुसार खातेदार टीनेन्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा दौराने दावा से पाबंद नहीं किया जा सकता है,तथा खातेदार काश्तकार को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग बेचान इत्यादि करने का पुर्ण अधिकार प्राप्त होता है, इसलिए प्रार्थी का वर्तमान प्रकरण विरूद्ध विप्रार्थी चलने योग्य नहीं हैं। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त हैं, कि अस्थाई निषेधाज्ञा दौराने दावा जारी करने हेतु आवश्यक तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला,सुविधा का संतुलन,अपुर्णिय क्षति एवं साम्या का पवित्र सिद्धान्त प्रार्थी को अपने हक पक्ष में साबित करना आवश्यक हैं,लेकिन वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी अपने हक पक्ष में एक भी बिन्दु साबित करनें में सफल

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

नहीं हुआ है,इसलिए प्रार्थी कोई साम्यापुर्ण अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण मय खर्चा खारिज किया जावें।

5.हमनें दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि विवादित भूमि ग्राम आकड़ली बक्सीराम तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 141/93 व 142/93 कुल क्षेत्रफल 12.9499 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थी के पक्ष में विप्रार्थी के विरूद्व अन्तरिम स्थगन आदेश जारी हो रखा है। न्यायालय हाजा को यह तय करना है कि क्या अन्तरिम स्थगन आदेश मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म योग्य है अथवा निरस्त योग्य है। जिसमें तीन बिन्दु प्रथम द्वष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं के आधार पर तय होगा।

6.(1)सर्वप्रथम प्रथम द्वष्यता मामला किसके पक्ष में बनता है,के संबध में विवेचन किया जा रहा है,जिसमें पाया कि विवादित भूमि ग्राम आकड़ली बक्सीराम तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 141/93 व 142/93 कुल क्षेत्रफल 12.9499 हैक्टयर भूमि श्री मोमड़ियाई गौशाला सेवा समिति आकड़ली बक्सीराम की खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्तमान रिकॉर्ड मुताबिक विप्रार्थी संख्या 02 विवादित आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है तथा रिकॉर्डेड खातेदार को स्थगन आदेश से पाबंद नहीं किया जा सकता है,स्थगन आदेश से पाबंद किए जाने से विप्रार्थी को क्षति हो रही है,जबकि प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि में खातेदारी अधिकारों की धोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है,जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होगा कि प्रार्थी राहत प्राप्त कर सकता है अथवा नहीं। लेकिन हस्तगत प्रकरण में यह स्पष्ट है कि प्रथम द्वष्यता मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है,क्योकि प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है,जिससे साबित हो कि प्रथम द्वष्यता मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता हो। इसके विपरीत विप्रार्थी द्वारा साबित किया है कि विवादित आराजी के आवगी खातेदार है तथा स्थगन आदेश से विप्रार्थी को क्षति हो रही है। ऐसी सूरत में प्रथम द्वष्यता मामला प्रार्थी के पक्ष में नही होकर विप्रार्थी के पक्ष में बनता है।

6(ii).इसी प्रकार सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है,क्योंकि विप्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है और रिकार्डेड खातेदार को स्थगन आदेश से पाबंद नहीं किया जा सकता है। खातेदार अपने हक हकूक हिस्सा का उपयोग–उपभोग करने के लिए स्वंतत्र है। न्यायालय हाजा खातेदार को उसके हक हकूको से महरूम नहीं रख सकता है। ऐसी सूरत में सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं होकर विप्रार्थी के पक्ष में बनता है,क्योंकि धारा 212 R.T.ACT प्रकरण में यह देखना है,कि मामला स्थगन आदेश का बनता है अथवा नहीं,जो कि हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश जारी रखनें का मामला बनता नहीं हैं। इस संबध में आर.आर.टी. 1978 पृष्ठ 377 सुकी खां बनाम मोहनसिंह वगैरा में प्रतिवादित है:–कि धारा 212 अधिकार अथवा स्वामित्व का निर्णय नहीं करना चाहिए,यदि धारा 212 के आधार तत्व न हो तो अस्थाई निषेधाज्ञा अनुचित है,जो कि हस्तगत प्रकरण पर चस्पा है,क्योंकि प्रकरण में स्थगन आदेश जारी रखने का ऐसा कोई ठोस आधार बनता हीं नहीं हैं। ऐसी सूरत में सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

(iii).जहां तक अपूरणीय क्षति होना का बिन्दु है,वह भी बिन्दु विप्रार्थी के पक्ष में बनता है,क्योंकि प्रथम द्रष्यता मामला एवं सुविधा का संतुलन विप्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। ऐसी सूरत में स्थगन आदेश जारी होने के कारण अपूरणीय क्षति भी विप्रार्थी पक्ष को हो रही है। इस प्रकार विप्रार्थी जो विवादित भूमि का खातेदार है और उन्हें स्थगन आदेश से पावंद नहीं किया जा सकता है,क्योंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों के विपरीत है और हस्तगत प्रकरण में एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी करवानें के कारण अपूरणीय क्षति विप्रार्थी को हो रही है। ऐसी सूरत में प्रार्थी स्थगन आदेश जारी रखवानें का हकदार नहीं है।

7.उपरोक्त विवेचन से भली भांति साबित है,कि न्याय के तीनों बिन्दु प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही प्रार्थी के पक्ष में न होकर विप्रार्थी के पक्ष में बनते है। इस प्रकार न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 15.3.2024 निरस्त योग्य होने एवं मूल प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज योग्य है।

:आदेश:

8.उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सारहीन व सारवान तथ्यों के आधार पर होने के कारण अस्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 15.3.2024 को अपास्त किया जाकर,प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(राजेशकुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

आदेश आज दिनांक 19.9.2024 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा